UPSP010059172026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,</u>
<u>कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।</u>

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2291/2026

अलाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, निवासी ग्राम रमजानपुरा, बेहट रोड, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 227/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–कोतवाली देहात, जिला– सहारनपुर।

<u>11–06–2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **अलाउद्दीन** पुत्र सलाउद्दीन द्वारा मु0अ0सं0–227/2026, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ तौफीक पुत्र अतीक अहमद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 24.05.2026 को वादी उप निरीक्षक निप्पी सिंह मय हमराही कर्मचारीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 06 समय 01.49 बजे रवाना होकर गस्तकरते हुए हकीमपुरा रोड से सकलापुरी रोड की तरफजा रहे थे जैसे ही पुलिस वाले गस्त करते हुए सकलापुरी रोड की तरफ मोड पर अमरूद के बाग के पास पहुचे दो एक व्यक्ति सकलापुरी रोड की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस वालों को अचानक अपने सामने देखकर एकदम शकपकाया तथा पीछे मुड़कर तेज गति से सकलापुरी की तरफ भागने लगा तब पुलिस वालो को शक होने पर इस व्यक्ति को ललकार कर रुकने के लिए कहा तो नहीं रुका शक बदमाश होने पर पुलिस वालों ने एकदम घेर घोटकर इस व्यक्ति को भागने का मौका न देते हुए सकलापुरी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर अमरूद के बाग के पास समय करीब 04:35 बजे पकड लिया पकडे गए इस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इस व्यक्ति ने अपना नाम **अलाउद्दीन** पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम रमजानपुरा बेहट रोडथाना कोतवाली देहात सहारनपुर बताया तथा भागने व शकपकाने का कारण पूछा तो इसने बताया कि साहब मेरे पास नाजायज चरस है। वादी उप निरीक्षक द्वारा पकडे गये व्यक्ति को बताया गया कि आपके पास अवैध नशीला चरस है इसलिए आपको अपनी जामा तालाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवाने का अधिकार है इस पर पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि साहब आप ही मेरी जामा तलाशी लेलो। वादी उ0नि0 द्वारा धारा 50 एनडीपीएस एक्ट प्रावधानों के अनुसार पकड़े गये व्यक्ति की सहमति से सहमति पत्र तैयार कर पढ़ कर सुना कर सहमति के हस्ताक्षर बनवाकर पकड़े गये व्यक्ति की जामा तालाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति की पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक पारदर्शी पालीथीन बरामद हुयी बरामदा पोलीथिन को खोलकर देखा गया तो इसमें भूरे रंग के टैप मे

लिपटा हुआ काले रंग का चिपचिपा पदार्थ है जिसको वादी उप निरीक्षक द्वारा स्वयं सुंघा व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाया तो इसमें **चरस** जैसी गंध आ रही है बरामदा चरस को अपनी विवेचना किट से इलेक्ट्रनिक कांटा निकाल कर तोला गया तो इसका कुल वजन **215 ग्राम** है। अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराते हुए नियामानुसार समय 4.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त अलाउद्दीन के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में थाना हाजा की पुलिस द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। कथित बरामदगी में कोई सार्वजनिक गवाह सम्मिलित नहीं है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ़्ता नहीं है और ना ही प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अलाउद्दीन को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से 215 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरक्त एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित एक अन्य मामला मु0अ0सं0 298/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर भी पंजीकृत हैं। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **अलाउद्दीन** को मौके से पकड़े पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **215 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ. 1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	215 ग्राम

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा अल्पमात्रा से थोड़ी अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है तथा दर्शाये गये आपराधिक इतिहास के मामले में अभियुक्त जमानत पर है। अभियोजन की ओर से भी आपराधिक इतिहास के मामले में अभियुक्त के दोषसिद्ध होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 24.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अलाउद्दीन** पुत्र सलाउद्दीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–227/2026, अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये, कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 11–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.06.11 16:44:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court